# न्यायालय अति0जिला कलेक्टर,टोंक

( सुखराम खोखर,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित )

प्रकरण संख्या 06 / 2012
प्रविष्टि दिनांक 05.03.2012

सरकार जरिए तहसीलदार मालपुरा

—प्रार्थी

बनाम

नारायण पुत्र चन्द्रा जाति रेगर निवासी मालपुरा जिला टोंक राज0

—प्रतिपक्षी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थिति :— (1) श्री जुगनू शर्मा राजकीय अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री मजहर आलम, अभिभाषक अप्रार्थी

**अभिशंषा** **दिनांक 28.02.2020**

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार मालपुरा द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत प्रस्तुत किया है। आवेदन का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 437 / 1 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम पीनणी तहसील मालपुरा मुताबिक खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2010 मे गै0मु0 नाला भूमि दर्ज है। यह रकबा भू आवण्टन सलाहकार समिति के द्वारा दिनांक 10.11.1984 को रकबा 2 बीघा नारायण के नाम आवण्टित किया गया जिस पर दिनांक 02.01.2002 को जरिए नामान्तरकरण नामान्तरकरण सं0 585 के द्वारा खातेदारी दर्ज की गई। नकल जमाबंदी सम्वंत 2061—2064 वाके ग्राम पीनणी में भूमि खसरा नम्बर 437 / 1 / 1 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि नारायण पुत्र चन्द्रा जाति रेगर की खातेदारी में दर्ज है। तहसीलदार मालपुरा ने अपने प्रार्थना पत्र में उक्त आवण्टन को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल होने के कारण एंव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी0बी0सिविल जनहित याचिका सं0 1536 / 03 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 2—8—2004 की पालना में प्रस्तुत करते हुए विपक्षी के पक्ष में किया गया आवंटन एंव भरे गये नामान्तरकरण सं0 585 को निरस्त करने हैतु यह रेफरेन्स प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी जरिए नोटिस विपक्षी की गई। बहस राजकीय अभिभाषक एंव अभिभाषक अप्रार्थी सुनी गई।

अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 437 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि वाके ग्राम पीनणी पर अप्रार्थी का गत 60 वर्ष से अधि समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि मे से 2 बीघा भूमि अप्रार्थी को दिनांक 10.11.1984 को कब्जे के आधार पर नियतन कर दी गई और खसरा नम्बर 437 का बटा नम्बर डालते हुये 437 / 1 रकबा 2 बीघा का रेवेन्यू रिकार्ड मे अंकन कर दिया गया। खसरा नम्बर 437 मे रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि को विभिन्न लोगो को अर्थात घासी,मूल्या आदि को दिनांक 25.06.1996 को भूमि

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner

आवंटित कर दी थी जिसके खिलाफ अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र 14 (4) न्यायालय हाजा मे पेश करने पर न्यायालय हाजा द्वारा स्वीकार करते हुए आवंटी घासी आदि का आंवटन निरस्त किया गया है। अप्रार्थी के कब्जे काश्त की प्रश्नगत भूमि मे नाथू,नानू छीतर आदि ने मजाहमत करना शुरू करने पर अप्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालपुरा के यहां एक दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा उनके खिलाफ पेश किया जिस पर दिनांक 03.05.1999 को निर्णय पारित कर डिक्री जारी कर नाथू आदि को पाबंद किया गया है। आराजी खसरा नम्बर 437/1 की शेष भूमि 2 बीघा 5 बिस्वा पर भी अप्रार्थी का लगातार कब्जा चला आ रहा था, परन्तु इसे अप्रार्थी के नाम नियमन नही किये जाने पर अप्रार्थी ने मजबूर होकर एक दावा बाबत इस्तकार हक हुक्म इम्तेनाई दवामी व इन्द्राज दुरूस्ती का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालपुरा के यहां पेश करने पर दिनांक 31.03.2001 को डिक्री किया गया ओर उसकी अनुपालना मे ख0नं0 437/1 का अप्रार्थी के नाम नामान्तकरण खोला जाकर रेवेन्यू रिकार्ड मे उसका अमल दरामद किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी खसरा नम्बर 437 के सम्पूर्ण रकबे 4 बीघा 5 बिस्वा का मालिक,काबिज,खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। अप्रार्थी आराजी खसरा नम्बर 437/1/1 के संबंध मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालपुरा के यहां पर एक दावा पेश किया था जिसमे राज0सरकार जरिये जिलाधीश टोंक,तहसीलदार मालपुरा,हल्का पटवारी को फरीक बनाया गया था और उनके खिलाफ अप्रार्थी वादी का दावा डिक्री किया गया है,जिससे राज्य सरकार एंव तहसीलदार मालपुरा पूर्ण रूप से पाबंद है। अब वे इस संबंध मे किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही करने से तहत दफा 115 एडिडेन्स एक्ट एटोप्ड है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत यह रेफरेंस एक प्रकार से कानूनन कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तारीफ मे आता है। खसरा नम्बर 437 पर शुरू मे मौके पर बडे–बडे मिट्टी के टीलो एंव टीबो के रूप मे थी जिसे अप्रार्थी तथा उसके पिता ने काफी मेहनत करके सही किया है। अप्रार्थी की इस भूमि मे से होकर नदी या नाला अथवा तालाब व गै0मु0 नाडा आदि नही है और न ही नदी या नाले के बहाव का पानी निकलता है। अप्रार्थी के पास जो भूमि है वह राज0 टि0एक्ट 1955 की धारा 16 मे वर्णित भूमि नही है।नियमानुसार अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि को निरस्त नही किया जा सकता है।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एंव निवेदन किया कि विवादित भूमि खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2010 में गै0मु0 नाला भूमि दर्ज है एवं भूमि का आकार नाला दर्ज थी, उक्त नाला भूमि होने के कारण आवण्टन किया जाना राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी0बी0सिविल याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 2.08.2004 की पालना में विपक्षी के पक्ष में किया गया आवण्टन एवं भरे गये खातेदारी का नामान्तरकरण सं0 585 निरस्त कराने हैतु रेफरेन्स प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी ने दोराने बहस कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 437 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि वाके ग्राम पीनणी पर अप्रार्थी का गत 60 वर्ष से अधि समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि मे से 2 बीघा भूमि अप्रार्थी को दिनांक 10.11.1984 को कब्जे के आधार पर नियमन कर दी गई और खसरा नम्बर 437 का बटा नम्बर डालते हुये 437/1 रकबा 2 बीघा का रेवेन्यू रिकार्ड मे अंकन कर दिया गया। खसरा नम्बर 437 मे

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner

रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि को विभिन्न लोगो को अर्थात घासी,मूल्या आदि को दिनांक 25.06.1996 को भूमि आवंटित कर दी थी जिसके खिलाफ अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र 14 (4) न्यायालय हाजा मे पेश करने पर न्यायालय हाजा द्वारा स्वीकार करते हुए आवंटी घासी आदि का आंवटन निरस्त किया गया है। अप्रार्थी के कब्जे काश्त की प्रश्नगत भूमि मे नाथू,नानू छीतर आदि ने मजाहमत करना शुरू करने पर अप्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालपुरा के यहां एक दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा उनके खिलाफ पेश किया जिस पर दिनांक 03.05.1999 को निर्णय पारित कर डिक्री जारी कर नाथू आदि को पाबंद किया गया है। आराजी खसरा नम्बर 437/1 की शेष भूमि 2 बीघा 5 बिस्वा पर भी अप्रार्थी का लगातार कब्जा चला आ रहा था, परन्तु इसे अप्रार्थी के नाम नियमन नही किये जाने पर अप्रार्थी ने मजबूर होकर एक दावा बाबत इस्तकार हक हुक्म इम्तेनाई दवामी व इन्द्राज दुरूस्ती का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालपुरा के यहां पेश करने पर दिनांक 31.03.2001 को डिक्री किया गया ओर उसकी अनुपालना मे ख0नं0 437/1 का अप्रार्थी के नाम नामान्तकरण खोला जाकर रेवेन्यू रिकार्ड मे उसका अमल दरामद किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी खसरा नम्बर 437 के सम्पूर्ण रकबे 4 बीघा 5 बिस्वा का मालिक,काबिज,खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। अप्रार्थी आराजी खसरा नम्बर 437/1/1 के संबंध मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालपुरा के यहां पर एक दावा पेश किया था जिसमे राज0सरकार जरिये जिलाधीश टोंक,तहसीलदार मालपुरा,हल्का पटवारी को फरीक बनाया गया था और उनके खिलाफ अप्रार्थी वादी का दावा डिक्री किया गया है,जिससे राज्य सरकार एंव तहसीलदार मालपुरा पूर्ण रूप से पाबंद है। खसरा नम्बर 437 पर शुरू मे मौके पर बडे–बडे मिट्टी के टीलो एंव टीबो के रूप मे थी जिसे अप्रार्थी तथा उसके पिता ने काफी मेहनत करके सही किया है। अप्रार्थी की इस भूमि मे से होकर नदी या नाला अथवा तालाब व गै0मु0 नाडा आदि नही है और न ही नदी या नाले के बहाव का पानी निकलता है। अप्रार्थी के पास जो भूमि है वह राज0 टि0एक्ट 1955 की धारा 16 मे वर्णित भूमि नही है।नियमानुसार अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि को निरस्त नही किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित हैं। अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने कथन की पुष्टि में न्यायिक दृष्टान डी.एन.जे(राज.) 2005 (2) पेज 786 उद्वरित किये है।

राजकीय अभिभाषक एंव अभिभाषक अप्रार्थी की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया तथा प्रस्तुत दृष्टान्त का गहन अध्ययन किया। नकल खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2010 में साबिक खसरा नम्बर 437/1 गै0मु0 नाला भूमि दर्ज है। भू आवण्टन सलाहकार समिति के द्वारा दिनांक 10.11.1984 को 2 बीघा भूमि नारायण पुत्र चन्द्रा जाति रेगर निवासी मालपुरा के नाम आवण्टन किया गया है। आवण्टन आदेश की अनुपालना में नारायण को दिनांक 02.01.2002 को नामान्तरकरण सं0 585 के द्वारा खातेदारी अधिकार दे दिये गये।

अभिभाषक अप्रार्थी का तर्क है कि विवादित भूमि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालपुरा द्वारा डिक्री किये जाने के फलस्वरूप को अप्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज हुई है। अप्रार्थी का आराजी खसरा नम्बर 437/1/1 पर कब्जा है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner

चूँकि विवादित उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड नकल खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2010 में गै0मु0 नाला दर्ज होने से सार्वजनिक सम्पदा थी नारायण ने इस भूमि को भू आवण्टन सलाहकार समिति की राय से अपने पक्ष में आवण्टित करा कर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये। राज0 टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 के तहत ऐसी भूमियों का आवण्टन प्रतिबन्धित हैं। इससे स्पष्ट है कि दिनांक 10.11.1984 को विवादित भूमि नारायण के पक्ष में आवण्टित किया जाना राज0 टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। तहसीलदार मालपुरा का यह प्रकरण माननीय राज0 उच्च न्यायालय की डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 2–8–2004 की पालना में प्रस्तुत किया है जो स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता हैं।

फलतः माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रकरण इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि नारायण पुत्र चन्द्रा जाति रेगर निवासी मालपुरा तहसील मालपुरा को प्रकरण संख्या 01/1984 दिनांक 10.11.1984 द्वारा खसरा नम्बर 437/1 रकबा 2 बीघा भूमि वाके ग्राम पीनणी मे किया गया आवंटन तथा इस आदेश की पालना मे श्री नारायण के नाम स्वीकार किया गया खातेदारी का नामान्तकरण सं0 585 दिनांक 02.01.2002 को निरस्त कर हाल आराजी खसरा नम्बर 437/1 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि वाके ग्राम पीनणी को पुनः गै0मु0 नाला भूमि दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखराम खोखर)
अति.जिला कलेक्टर,टोंक

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukh Ram Khokher
Date: 2020.07.07 14:07:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: